

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 147
31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

ओडिशा में इस्पात परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

***147. डा. सस्मित पात्रा:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में प्रमुख इस्पात परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) पुनर्वास, नियोजन और प्रदान किए मुआवजे की स्थिति क्या है;

(ग) क्या पुनर्वास संबंधी दायित्व अभी भी बाकी हैं; और

(घ) पुनर्वास संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"ओडिशा में इस्पात परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास" के संबंध में डा. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए प्रस्तुत किए गए राज्य सभा तारांकित (*) प्रश्न संख्या *147 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। लागू कानूनों और नीतियों के अनुसार इस्पात परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर), रोजगार तथा मुआवजा प्रदान करना संबंधित परियोजना प्रवर्तकों और संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस्पात मंत्रालय विस्थापित परिवारों की संख्या, पुनर्वास की स्थिति, लंबित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन दायित्वों या परियोजना-वार अनुपालन के बारे में केंद्रीकृत जानकारी नहीं रखता है।

तथापि, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के संबंध में उड़ीसा सरकार द्वारा 1950 के दशक में भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1948 का उड़ीसा अधिनियम XVIII) के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था और प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 4,094 परिवार (राउरकेला से 2,901 और मंदिरा से 1,193) विस्थापित हुए थे। यद्यपि इस अधिनियम में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान नहीं था, तथापि आरएसपी ने पुनर्वास उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा चिन्हित स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों (एलडीपी) को रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी। अब तक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)/आरएसपी द्वारा 6,707 स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों (एलडीपी) को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।
